संख्या-96/2022/658/001-22-4-2022-48-62-2011

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0 प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 12 जुलाई, 2022

विषय:- जनपद हापुड़ में जिला कारागार के निर्माण के लिए भूमि क्रय हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2218/नम-3/47/हापुड़/17, दिनांक-28.01.2021 एवं पत्र संख्या-14840/नम-3/47/हापुड़/17, दिनांक-10.05.2022 तथा मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-51/2022/658/22-4-2022-48(62)/11 दिनांक 30.12.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश दिनांक-30.12.2020 द्वारा जनपद हापुड. में जिला कारागार के निर्माण हेतु चयनित ग्राम-अकड़ौली, तहसील व जिला हापुड़ में स्थित काश्तकारों की 24.3103 हे0 (60.08 एकड़) भूमि क्रय किये जाने हेतु रू0 52,26,45,760/- (रूपया बावन करोड़ छब्बीस लाख पैंतालिस हजार सात सौ साठ मात्र) की लागत पर प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि रू0 44,57,20,620/- (रूपया चौवालिस करोड़ सत्तावन लाख बीस हजार छः सौ बीस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदया जनपद हापुड़ में जिला कारागार के निर्माण हेतु चयनित ग्राम-अकड़ौली, तहसील व जिला हापुड़ में भूमि के क्रय हेतु अवशेष धनराशि रू0 7,69,25,140/- तथा उक्त भूमि की रजिस्ट्री कराये जाने हेतु धनराशि रू0 52,26,458/- अर्थात कुल धनराशि रू0- 8,21,52,600/-(रू0 आठ करोड़ इक्कीस लाख बावन हजार छः सौ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करती हैं:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) क्रय हेतु प्रश्नगत धनराशि अवमुक्त किये जाने के पूर्व महानिरीक्षक कारागार यह सुनिश्चित हो लेंगे कि जनपद हापुड में प्रस्तावित जिला कारागार के निर्माण की आवश्यकता/औचित्य के विषय में समस्त बिन्दुओं पर विचार कर अपेक्षित स्तर पर निर्णय लेते हुये अनुमोदन प्राप्त किया जा चुका है।

(2) महानिरीक्षक, कारागार मानक के अनुसार भूमि क्रय किये जाने की आवश्यकता एवं औचित्य के संबंध में संतुष्ट हो लेंगे।

(3) मात्र बजट व्यवस्था के उद्देश्य से उक्त धनराशि पर स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

(4) समस्त वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये नियममुसार धनराशि स्वीकृत किये जाने का दायित्व महानिरीक्षक, कारागार का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.gov.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) स्वीकृत धनराशि जिलाधिकारी के डिपाजिट खाते में रखी जायेगी एवं नियमानुसार केवल वास्तविक आवश्यकता होने पर ही राजकोष से आहरित की जायेगी ।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 8,21,52,600 (रुपये आठ करोड़ इक्कीस लाख बावन हजार छह सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 025 **लेखा शीर्षक** 4070008000900 नवसृजित जनपदों में कारागार कें निर्माण हेतु भूमि क्रय के लिये एकमुश्त व्यवस्था **मानक मद** 60 भूमि क्रय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-12- 69 -X-2022-23, दिनांक- 27.06.2022 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-96/2022/658/001-22-4-2022-48-62-2011, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) जिलाधिकारी, हापुड़।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(7) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(9) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.gov.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।